

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025, ग्राम पंचायत :.....4.P.T.D.'B'.....

फार्म नं.- III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीविजयनगर

.....श्रीविजयनगर.....

बनाम सरकार


अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर 314 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 /500.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किये गये
11.10.25	<p>प्रार्थी की ओर से शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का / भू.अ.नि. / नायब तहसीलदार / तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा दुरुस्ती किए जाने की अनुशंषा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 4.P.T.D.'B'..... खाता सं. 49.66..... में एक ही खातदार की जमाबंदी के खाता सं. 49.66 में कुल 2.568 है कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है के स्थान पर जमाबंदी के खाता सं. 49.66 में दर्ज कुल 2.568 है कमाण्ड कृषि भूमि का जमाबंदी एक ही खाता में किया जावे, की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो।</p> <p>निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	




शकुन्ताला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर